प्रति,

श्रीमान मुख्य नगर परिषद अधिकारी,
नगर परिषद छपारा तहसील छपारा जिला सिवनी म0प्र0

आवेदक:– समस्त हस्ताक्षरकर्ता वार्ड वासी शहीद वार्ड कमाँक 06, नगर परिषद छपारा ,
तहसील छपारा जिला सिवनी म0प्र0

अनावेदक:–1. हीरालाल रजक (शासकीय शिक्षक) पिता साहबलाल रजक उम्र–52 साल,
2. धनलाल रजक पिता साहबलाल रजक उम्र 45 साल,
3. पन्नालाल रजक पिता साहबलाल रजक उम्र 48 साल,
सभी जाति धोबी, निवासी शहीद वार्ड ,कमाँक 6, नगर परिषद छपारा तहसील छपारा
जिला सिवनी म0प्र0

विषय:– अनावेदकगणो के द्वारा अनाधिकृत रुप से रोड पर कब्जा कर नवनिर्मित नाली को संकीर्ण कर देने एवं बरसाती नाली के पानी के बहाव को बाधित करने तथा लडाई झगडा करने पर अमादा होने पर उचित कार्यवाही कर नाली पूर्ण रुप से सही तरीके से उचित मानक पर बनाये जाने एवं बाधा उत्पन्न करने पर उचित दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने बाबत्

महोदय जी,

विनम्र निवेदन है कि, हम सभी हस्ताक्षरकर्तागण शहीद वार्ड कमाँक 6 नगर परिषद छपारा तहसील छपारा जिला सिवनी अंतर्गत धोबी मोहल्ला के निवासी है।

विगत दिनों नगर परिषद के द्वारा नाली का निर्माण कराया गया है। किन्तू नाली निर्माण पर अनियमितता यह देखी गयी है कि– अनावेदकगणों के घर के सामने की नाली अनावेदकगणों के द्वारा रास्ता पर अवैध अतिकमण कर लेने से सकरी बना दी गयी है। जिससे बरसाती पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। साथ ही नाली को अतिकमण न हटाते हुए अनावेदकगणों के घर के किनारे से तिरछी व संकीर्ण (सही मानक लंबाई /चौडाई की न बनाते हुए) कर दी गयी है।

महोदय जी उपरोक्त कारणों से वर्तमान में जो कि अभी बरसात का मौसम प्रारंभ ही हुआ है बरसाती पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। जिससे वार्ड में बरसात का पानी रोड पर भर जा रहा है। तथा आने जाने वालो को आवागमन में काफी परेशानी का सामना उठाना पड रहा है।

महोदय जी, उक्त रास्ते से जिस पर नाली संकीर्ण व तिरछी हो जाने से अनावेदकगणो के उक्त कृत्य से पानी की निकासी न हो पाने से वृद्धजनों को व बच्चों को आने जाने में असमर्थता हो रही है। तथा पानी भरे रहने से किसी भी प्रकार की गंभीर घटना घटित हो सकती है।

महोदय जी पानी की निकासी अनावेदकगणों के द्वारा सही तरीके से नाली निर्माण न होने देने व अतिकमण करने के कारण से रोड में भरे पानी से मच्छर आदि पनप रहे है तथा जहरीले जीव भी बरसात के कारण उक्त कारणों से रास्तों पर दिखाई पडते है जिससे कि कोई जनहानि भी अनावेदकगणों के द्वारा किये गये उक्त कृत्य के कारण हो सकती है।

महोदय जी उक्त संबंध में दिनाँक–22/06/2024 को वार्ड पार्षद दीपक कोष्टा को मौके पर ले जाकर संज्ञान दिलाया गया जिसकी समस्या का निराकरण करने हेतु निवेदन किया गया तो अनावेदकगण एक राय होकर गली में खडे होकर मादर चोद बहनचोद की गंदी–गंदी गालियाँ देने लगे तथा लठ चमकाने लगे ।

जिसकी शिकायत थाना छपारा में तत्काल रुप से की जा रही है जो कि आवेदन के साथ संलग्न है।

महोदय जी अनावेदक कमाँक 01 हीरालाल रजक पिता साहबलाल रजक के द्वारा पुष्पकुमार चौकसे के खेत के आवागमन मार्ग को अवरुद्ध कर करीब 2500 वर्गफीट पर अवैध निर्माण कर लिया गया है जिसके कारण रास्ता व नाली दोनो ही बाधित हो रही है।

नाली का बहाव हीरालाल रजक के घर की ओर ही है जिसे नाली संकीर्ण कर पानी के मार्ग को बाधित कर दिया गया है। जिस पर तत्काल उचित दण्डात्मक प्रशासनिक कार्यवाही की जाकर नाली को उचित मानक लंबाई व चौडाई में तथा किये गये अतिकमण पर रास्ता अवरुद्ध किये जाने अतिकमण हटाया जाना जनहित में आवश्यक है।

महोदय जी अनावेदकगणो के विरुद्ध उक्त आधार पर ठोस कार्यवाही व अतिकमण मुक्त कर नाली की संकीर्णता व पानी बाधित होने से नही रोका जाता है तो अन्य लोगों भी अतिकमण करने का दुस्साहस बढेगा। तथा उक्त कारणों से वार्ड में परेशानियों के चलते तनाव का माहौल व्याप्त है।

अत: महोदय जी से निवेदन है कि मौके की वास्तविक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनावेदकगणों के विरुद्ध उचित दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए नाली की संकीर्णता अवैध अतिकमण को हटाते हुए समाप्त किये जाने की दया होवे।

स्थान– छपारा
दिनाँक–24/06/2024

पार्षद
दीपक कोष्टा
वार्ड क्रमाँक 06, शहीद वार्ड
नगर परिषद छपारा,जि.सिवनी

समस्त हस्ताक्षरकर्ता वार्ड वासी
वार्ड कमाँक 6
शहीद वार्ड छपारा
नगर परिषद छपारा